न्यायालय जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

मुत.(6ए)संख्या 30 / 24 तारीख रुज्जू–04 / 10 / 24

1. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सुरेन्द्र सिंह मीना – प्रार्थी

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र किरोडी लाल निवासी अम्बेडकर मूर्ति, परीता रोड, वजीरपुर जिला गंगापुर सिटी –अप्रार्थी

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

–: निर्णय :– दिनांक 29.10.2024

प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 04 / 10 / 2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 20 / 09 / 2024 को सुश्री सपना मीना, प्रर्वतन निरीक्षक हमराह श्री अंकित पवार, जिला रसद अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग किये जाने की कार्यवाही हेतु अग्रवाल मोबाइल पोइंट दुकान पर घरेलू गैस सलेण्डर को व्यवसायिक कार्यो मे अवैध उपयोग लेते हुये पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये ग्यारह घरेलू गैस सिलेन्डर को राजसात **(Confiscate)** किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी के स्वंय उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवेदन किया कि दिनांक 20 / 09 / 2024 को सुश्री सपना मीना, प्रर्वतन निरीक्षक हमराह श्री अंकित पवार, जिला रसद अधिकारी गंगापुर सिटी द्वारा घरेलू गैस के अवैध भण्डारण व व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग किये जाने की कार्यवाही हेतु अग्रवाल मोबाइल पोइंट दुकान पर पहुँचे। मौके पर श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री किरोडी लाल निवासी अम्बेडकर मूर्ति, परीता रोड, वजीरपुर उपस्थित मिले तथा श्री कैलाश चन्द की उपस्थिति में दुकान की तलाशी लेने पर अवैध रूप से घरेलू रसोई गैस के 7 एवं साथ ही दुकान के पीछे श्री कैलाश चन्द के घर से 4 सील बन्द घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण व व्यवसायिक कार्य में दुरूपयोग लिया जाना पाया गया। मौके पर कुल 11 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग लिये जाने के कारण उक्त 11 गैस सिलेण्डर मौके पर जप्त किया जाकर कीर्ति इण्डेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी वजीरपुर के प्रतिनिधि श्री ओमप्रकाश मीना को सुपुर्दगी के वास्ते सुरक्षित रखने एवं माननीय न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने हेतु सुपुर्दगी में दिया गया। जप्तशुदा सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुंसार है:–

क्र.स.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	कुल वजन	रिक्त वजन	शुद्व गैस
1	इण्डेन गैस	372574J	30	15.8	14.2
2	इण्डेन गैस	अस्पष्ट	29.9	15.9	14
3	इण्डेन गैस	317280S	29.4	15.4	14
4	इण्डेन गैस	192339E	30.1	15.9	14.2
5	इण्डेन गैस	211327S	29.2	15.2	14
6	इण्डेन गैस	940750T	29.8	15.7	14.1
7	इण्डेन गैस	अस्पष्ट	15.6	15.6	0.00
8	इण्डेन गैस	504891T	29.7	15.6	14.1
9	इण्डेन गैस	07502T	29.5	15.5	14
10	इण्डेन गैस	530079S	29.6	15.4	14.2

29/10/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

11	इण्डेन गैस	100207	30.01	16.0	14.1
	कुल गैस भार		312.81	172	140.9

साथ ही पैरोकार रसद ने प्रस्तुत 6 ए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 11 गैस सिलेन्डर को राजसात किये जाने बाबत निवेदन किया ।

अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए दौराने बहस निवदेन किया कि प्रार्थी इस प्रकार का व्यवसाय नहीं करता है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी की झुठी शिकायत करते हुए निर्दोष फसाया गया है। प्रार्थी के पास उक्त सभी सिलेण्डर/कनेक्शन की डायरी एवं कनेक्शन वैध रूप से हैं जो प्रार्थी के परिवारजन एवं अन्य आस पास के लोगो के है प्रार्थी के पास उक्त सभी आस–पास के होने के फलस्वरूप अपनी सुविधा के रूप में प्रार्थी के यहां सलेण्डर एवं भरने के लिये डाल कर सायंकाल आस पास गांव में जाते समय उठाकर ले जाते है। इसमें प्रार्थी की किसी प्रकार की बदनियति एवं व्यवसाय करने का कोई उद्देश्य नही रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त प्रकरण में क्षमा करते हुए प्रार्थी को माफ करने एवं प्रार्थी के मकान से जप्त सिलेण्डरों को वापस दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया।

पैरोकार रसद एवं अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी की फर्म अग्रवाल मोबाइल पोइंट दुकान एवं घर से प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 20/09/2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 11 गैस सलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्यो में उपयोग किए जाने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं पैरोकार रसद द्वारा कहे गये कथन से होती हैं तथा अप्रार्थी स्वंय ने अपने बयान में अंकित किया है कि वह भरे हुए सिलेण्डर उपभोक्ता को बेचता है तथा लागत से 50 से 70 रूपये अतिरिक्त लेता है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक गंगापुर सिटी द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही मे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 11 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate)किया जाता है। जिला रसद अधिकारी गंगापुर सिटी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 11 गैस सलेण्डर का निस्तारण करवाकर निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकोष मे जमा करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

29/10/24
(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी
जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज.)